

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

किशनलाल

बनाम

शिवकु

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 219/2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/05/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती किशनलाल

पिता श्री कजोड कुम्हार (पजापति)

निवासी- भवंरब्या वॉर ६(३) तहसील कपान्क व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

नारेला स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....२१७७ ६२७७

५८ से वरिष्ठ आराजीघात

कुल कीता ५५ कुल रकबा ९.३९०० है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम नारेला (तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर २१७७ ६२७७ ५८ से वरिष्ठ आराजीघात

कुल कीता ५५ रकबा ९.३९०० है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क ३०००=०२ रूपये अक्षरे तीन हजार २००० प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।


(वीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)